कार्यालय जिलाधीश, यमुनानगर।

आदेश

जिला यमुनानगर के औद्योगिक/व्यवसायिक/वाणिज्यिक गतिविधियों के केन्द्र होनें के कारण यहां पर लाखों की संख्या में कर्मचारी/मजदूर विभिन्न कम्पनियों में कार्यरत है जिनमें अधिकांश लोग किराये के घरों में रह रहे है। कोविड–19 महामारी के कारण जिला की वर्तमान परिस्थितयों के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि ऐसे लोगो को पूरी आवासीय सुरक्षा मिलनी चाहिये किन्तु प्रशासन के संज्ञान में यह आ रहा है कि जिला के भवन स्वामियों द्वारा ऐसे लोगो से भवन का किराया लेने के लिये बाध्य किया जा रहा है जिसकें कारण ये लोग अपने मकानों को छोडकर अपने मूल स्थानो के लिये जाने को विवश हो रहे है। इस स्थिति से जिला मे दो प्रकार की विकट स्थितियां उत्पन्न हो रही है।

उक्त परिस्थिति की संवेदनशीलता के दृष्टिगत मैं, मुकुल कुमार, भा0प्र0से0, जिलाधीश, यमुनानगर राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तत्काल प्रभाव से यह आदेश देता हूं कि जिला यमुनानगर के किसी भी भवन स्वामी द्वारा जिला के किसी भी मजदूर/कर्मचारी, जो जिला की विभिन्न इकाईयों/कम्पनियों/कार्यालयों में कार्यरत है, से आवासीय भवन के किराये की मांग एक माह तक किसी भी दशा में नहीं की जायेगी। वांछित आवासीय भवन किराया आदेश की तिथि से एक माह के उपरान्त ही लिया जायेगा।

यदि जिला के किसी भवन स्वामी द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जायेगा तो राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी जिसमें एक वर्ष तक की सजा या अर्थदण्ड या दोनों हो सकता है और यदि इस आदेश के उल्लघंन से किसी भी तरह की जान–माल की क्षति होती है तो सजा दो वर्ष तक की भी हो सकती है। यदि किसी भवन स्वामी द्वारा उक्त आदेश का उल्लघंन किया जाता है तो प्रभावित व्यक्ति द्वारा इसकी सूचना जिला के एकीकृत कन्ट्रोल रूम के दूरभाष न0. 01732-237601 पर दी जा सकती है।

उक्त आदेश जिला यमुनानगर के लिये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

Mukul Kumar
जिलाधीश यमुनानगर।

Seal of the Court of District Magistrate Yamuna Nagar

पृ0 कमांक 1410 /एम0ए0 दिनांक 29-03-2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वितायुक्त, हरियाणा सरकार, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, चण्डीगढ ।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग, चण्डीगढ ।
4. पुलिस महानिदेशक, हरियाणा पंचकूला ।
5. आयुक्त, अम्बाला मण्डल, अम्बाला छावनी ।
6. जिला एवं सत्र न्यायधीश, यमुनानगर स्थित जगाधरी।
7. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त ।
8. अतिरिक्त उपायुक्त, यमुनानगर।
9. पुलिस अधीक्षक, यमुनानगर।
10. उपमण्डल अधिकारी (ना0) जगाधरी/रादौर/बिलासपुर।
11. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी यमुनानगर।
12. जिला लोक सम्पर्क एवं सूचना अधिकारी यमुनानगर को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त आदेशों का प्रचार करवाना सुनिश्चित करें।
13. जिला के सभी तहसीलदार/उप तहसीलदार ।
14. जिला के सभी खण्ड विकास एवं पचांयत अधिकारी ।
15. आशुलिपिक, उपायुक्त एवं नगराधीश, यमुनानगर।

Mukul Kumar
जिलाधीश, यमुनानगर।

Scanned by CamScanner